## न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
## (पीठासीन अधिकारीः आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

**आवेदक**

राजस्थान राज्य जरिये श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधि., सिरोही, हाल- श्री गंगानगर

बनाम

**अभियुक्त**

1. देवराज रावल पुत्र श्री चम्पालाल रावल, जाति- रावल,
   निवासी- मेन बाजार, पिण्ड्‌वाडा, जिला- सिरोही
   (विक्रेता एवं खाद्य कारोबारकर्ता),

फर्म:- न्यू जगदम्बा स्वीट होम, आमली रोड, पिण्ड्‌वाडा, जिला-सिरोही

**प्रकरण संख्याः 06/2017**

**''जुर्म अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 51 खाद्य पदार्थ एवं मानक अधिनियम, 2006 ''**

**उपस्थितिः**

1. देवराज रावल (अभियुक्त स्वयं)

**-: निर्णय :-** **दिनांक 29 मई, 2018**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 24.5.2016 को समय 4.00 पी.एम. पर फर्म न्यू जगदम्बा स्वीट होम, आमली रोड, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही पर पॅहुचा। वहां खाद्य विक्रेता के रुप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मूालम हुआ कि वह व्यक्ति देवराज रावल पुत्र श्री चम्पालाल रावल, जाति- रावल, निवासी- मेन बाजार, पिण्ड्‌वाडा है एवं न्यू जगदम्बा स्वीट होम पर मालिक एवं खाद्यकारोबारकर्ता की हैसियत से मौजूद है जो आम जनता के उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ खोया एवं खोये की मिठाई का निर्माण एवं विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग हेतु विक्रय किये जाने वाले खाद्य पदार्थ खोया के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की एवं फ्रीज में रखे थाल में मौजूद खाद्य पदार्थ 10 किलोग्राम खोया को अच्दी तरह से हिला मिलाकर एक रुप किया व इस एक रुप किये गये खाद्य पदार्थ खोया में से एक किलोग्राम खोया खरीदा एवं खरीदे गये खोया की कीमत रुपये 200/- अक्षरे रुपये दो सौ अदा कर खरीद रसीद तैयार की, फार्म संख्या 5ए तैयार किया जिन पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं मैने हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। मूल फार्म नं. 5ए, नमूना खरीद रसीद संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहों चार साफ सूखी एवं खाली कांच की शीशीयां दिखाई एवं खरीद शुदा खाद्य पदार्थ खोया को चारों खाली शीशीयों

.....पेज दो पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001

में बराबर बराबर भरा एवं प्रत्येक शीशी में 20–20 बूंदे फॉर्मेलीन की डाली एवं कॉर्क से एयर टाईट बन्द किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी के कोड एवं क्रमांक S-596, दिनांक, नमूना लेने का स्थान, खाद्य पदार्थ आदि का नाम अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् प्रत्येक नमूना शीशी पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया। चारो नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज के रेपर में लपेटकर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नं. S-596 को नियमानुसार चारो भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर पेपर स्लीप को क्रोस करते हुए खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर व गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं मैनें भी अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाह ने पढ़कर सुन कर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई। फिर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पॅहुचकर फार्म नं. 6 की 8 प्रतियों तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया था। चारों नमूना भागों के साथ फार्म नम्बर 6 की एक-एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व मजबूत धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया एवं फार्म नंबर 6 की दो-दो प्रतियां अलग से दो लिफाफे में बंद कर गोंद से चिपकाया। फिर नमूनें के चारों भागों एवं लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 25.5.2016 को नमूनें का एक भाग एवं फार्म नं. 6 का एक सील बन्द लिफाफा विशाल सिंह, वार्ड बाय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 25.5.2016 को शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफावा अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही से खाद्य पदार्थ खोया की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता से जांच हेतु लिया गया खाद्य पदार्थ खोया का नमूना S-596 अमानक स्तर (Sub-standard) पाया गया। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा अमानक स्तर (Sub-standard) खाद्य पदार्थ खोया का विक्रय करके उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2 (**ii**) का उल्लंघन किया है जो धारा- 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अभियुक्त पर जुर्माना किया जावे।

(2) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को नोटिस जारी कर विधिवत तामिल करवाया गया। प्रकरण में सुनवाई हेतु नियत दिनांक 29.5.2018 को अभियुक्त इस न्यायालय में उपस्थित हुआ एवं अभियुक्त ने लोक अदालत की

.....पेज तीन पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001-

भावना से प्रेरित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का आज ही निस्तारण करने का अनुरोध किया। अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया है कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा दिनांक 24.5.2016 को मुझ अभियुक्त की दुकान न्यु जगदम्बा स्वीट होम से खोया (मावा) का सेम्पल जांच हेतु क्रय किया था जो खाद्य विश्लेषक की जांच अनुसार अमानक स्तर का पाया गया है। मेरे विरुद्ध जो आरोप जगाया है उसको मैं स्वेच्छा से स्वीकार करता हूँ एवं आयंदा उच्च मानक स्तर की खाद्य सामग्री विक्रय करुंगा।

(3) प्रकरण में सुनवाई हेतु नियत तिथि 29.5.2018 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये, परन्तु प्रकरण में अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से अभियुक्त को दिनांक 29.5.2018 को ही सुना गया। अभियुक्त ने अनुरोध किया कि उसका व्यापार छोटा सा है एवं उसने खोया दूसरे व्यक्ति से खरीदा थे। अभियुक्त ने खोया का निर्माण नही किया है। वह भविष्य अच्छी गुणवत्ता वाली खाद्य सामग्री का ही क्रय एवं विक्रय करेगा, इसलिये कम से कम जुर्माना आरोपित कर प्रकरण का आज ही निस्तारण करावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा,ख खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 24.5.2016 को समय 4.00 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म न्यू जगदम्बा स्वीट होम, आमली रोड, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही पर गये। उक्त फर्म न्यू जगदम्बा स्वीट होम, आमली रोड, पिण्डवाडा में मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से देवराज रावल पुत्र श्री चम्पालाल रावल, जाति- रावल, निवासी- मेन बाजार, पिण्ड्वाडा उपस्थित मिले। जो आम जनता के लिये खोया एवं खोये की मिठाई का निर्माण एवं बिक्री करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म न्यू जगदम्बा स्वीट होम, आमली रोड, पिण्ड्वाडा के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग हेतु बिक्री किये जाने वाले खाद्य पदार्थ खोया के अमानक स्तर का शक होने पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना क्रय करने की सूचना उपस्थित गवाह श्री नवल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष खाद्य कारोबारकर्ता देवाराज रावल को प्रपत्र संख्या 5ए में लिखित में दी तथा फर्म न्यू जगदम्बा स्वीट होम में फ्रिज में रखे हुए 5 किलोग्राम खोया को हिला मिलाकर एक रुप किया व इस एक रुप किये गये खाद्य पदार्थ खोया में से एक किलोग्राम खोया क्रय किया एवं उसकी कीमत रुपये 200/- (अक्षरे रुपये दो सौ मात्र) खाद्य कारोबारकर्ता देवराज रावल को नकद अदा कर रसीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए, नमूना खरीद रसीद एवं बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता देवराज रावल, उक्त गवाह तथा आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता एवं उक्त गवाह को चार साफ सूखी एवं खाली कांच की शीशीयां दिखाकर खरीद शुदा खाद्य पदार्थ खोया को चारों खाली शीशीयों में बाराबर-बराबर भरा एवं प्रत्येक शीशी में 20-20 बूंदे

......पेज चार पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001

फार्मेलीन डालकर शीशीयों के मुंह को ढ्क्कन से एयरटाईट बंद किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं क्रमांक S-596, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता एवं उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूनों भागों को खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-596 को नियमानुसार गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता/विक्रेता देवाराज रावल व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की। मौका फर्द रिपोर्ट पर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता देवाराज रावल, उक्त गवाह एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ क्रय का बिल, रसीद एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत फर्म न्यू जगदम्बा स्वीट होम, आमली रोड, पिण्ड्वाडा में खाद्य कारोबारकर्ता/विक्रेता देवराज रावल से खाद्य पदार्थ खोया का नमूना जांच हेतु क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पॅहुचकर फार्म नम्बर-6 की प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 25.5.2016 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 25.5.2016 को नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग मय फार्म नम्बर- 6 को अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ खोया के नमूना संख्या S-596 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण रिपोर्ट क्रमांक:L.S./666/Act/2016/696 दिनांक 21.6.2016 के अनुसार आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यू जगदम्बा स्वीट होम, आमली रोड, पिण्ड्वाडा में खाद्य कारोबारकर्ता देवराज रावल से वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया

......पेज पांच पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001

खाद्य पदार्थ खोया अमानक स्तर (Sub-standard) का होना पाया गया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य साबित है कि अभियुक्त देवराज रावल द्वारा अमानक स्तर (Sub-standard) खाद्य पदार्थ खोया का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा- 2(ii) का उल्लंघन किया है जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 51 के तहत अभियुक्त देवराज रावल पुत्र श्री चम्पालाल रावल, जाति- रावल, निवासी- मेन बाजार, पिण्ड़वाडा, जिला- सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, न्यू जगदम्बा स्वीट होम, आमली रोड, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही पर राशि रुपये 15,000/- (अक्षरे रुपये पन्द्रह हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। उक्त अभियुक्त देवराज रावल पुत्र श्री चम्पालाल रावल, जाति- रावल, निवासी- मेन बाजार, पिण्ड़वाडा, जिला- सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, न्यू जगदम्बा स्वीट होम आमली रोड, पिण्ड़वाडा, जिला- सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्तानुसार जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

29.05.18

(आशाराम डूडी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्टेट, सिरोही